

UPET060007192024



न्यायालय: सिविल जज (जू०डि०), त्वरित न्यायालय, एटा।
उपस्थित: गरिमा आर्य, जे०ओ०कोड-UP4737 उ०प्र० न्यायिक सेवा

सिविलवाद संख्या- 529/2024
सैफ अली-----बनाम----- रामसनेही आदि

22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। बार-बार पुकार करने पर भी उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। किसी भी पक्षकरा की ओर से विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है और न ही किसी प्रकार का स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। आदेश पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष विगत कई तिथियों से अनुपस्थित हैं और न ही उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाद में वादी सिविलवाद की कार्यवाही चलाने के इच्छुक नहीं हैं। अतः उपरोक्त वाद उभयपक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

-आदेश-

सिविलवाद संख्या-529/2024, उभयपक्षों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गरिमा आर्य)
J.O. CODE-UP 4737
सिविल जज (जू०डि०) त्वरित न्यायालय,
एटा।